

प्रभुदयाल बनाम जगदीश चर्खा

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज दावा, मुच नं० - 185 / 2017	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
25-6-18	<p>न्याय आदेश क्र 185/2017 केषु कोर्ट अन्तर्गत में पठावली पत्र दई। वादी द्वारा पत्र दई के द्वारा प्रतिवादी नं० 3 में उपस्थित होना कथन किया है कि वादी द्वारा दाखिल किया अनुसूचित (याद) की दोस्त प्रतिवादी की न्याय में ले कनेशन जारी की जा रहा है। इस प्रकार वादी प्रभुदयाल पुत्र भाग्यराम द्वारा कोर्ट में अन्तर्गत क्रमांक अनुसूचित (सी.नं० 1155 तन् अन्तर्गत) में दाखिल किया 10-5-18 के पत्राक्षर का वादी अनुसूचित अब प्रतिवादी नं० 3 की न्याय में ले कनेशन जारी करने के कारण अपेक्षित नहीं है। तथा प्रतिवादी नं० 3 के पत्र दई कनेक्शन होना शक्य है। अतः वादी (कीमत) किया जाती है। मार्केट के लिए कोर्ट कनेक्शन अपेक्षित नहीं है। वादी द्वारा पत्र दई प्रतिवादी जाती है। पठावली फोटो मुद्रा होना वादी की आवेदन धरते है। विनिर्दिष्ट आदेश क्र 25-6-18 की राशिकल्पित अनुसूचित अन्तर्गत में जारी आदेश सुनाया जा रहा है।</p> <p>जज - (ब्रह्म लाल जाट) RJS उपाध्यक्ष न्यायाधीश हीमाचल</p>	<p>हीमाचल रावल/हकीमी राज रावल का नियुक्त कनेक्शन स्टैटिस्टिक ग्राफिक्स में से नहीं किया गया। इस कनेक्शन का कनेक्शन कनेक्शन की सहायता की जा रही में किया गया है। Virendra Singh 25.6.18 JES ASEETJAL</p>